24-7-19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी
एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित है
पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता
को तीन-तीन बार आवाज लगवाई
गई। फिर भी अनुपस्थित है। पत्रावली
लम्बे समय से साक्ष्य वादी में चल रही
है। पत्रावली में साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं
करने से पत्रावली साक्ष्य वादी के अभाव
में पत्रावली खारीज की जाती है।
[illegible]
[illegible] पत्रावली में इसी स्टेज

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जयपुर

पर कार्यवाही समाप्त की जाती है क्योंकि
वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त
अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य
प्रस्तुत नहीं करना यह जाहिर करता है कि

-: निरन्तर :-

		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
		वादी वाद को चलाने का इच्छुक नहीं है। जबकि वाद को साबित करने का सम्पूर्ण भार वादी पर होता है। वाद में प्रतिवादी का जवाब पूर्व में ही एकतरफा किया जा चुका है अतः उनकी ओर से भी वाद में किसी कारण पर वाद को चलाने की मंशा प्रतीत नहीं होती है अतः ऐसी परिस्थिती में वाद को आगे चलाना निरर्थक होकर मात्र न्यायालय का समय जाया करने के अधिक कुछ भी नहीं है। अतः पत्रावली निरस्त की जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जि. उदयपुर	